न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज०)

पीठासीन अधिकारी – तुषार बिश्नोई (आर.जे.एस.)

निर्णय दिनांक 07.04.2026

नियमित आपराधिक प्रकरण सख्या–259/2021

सीआईएस रजिस्ट्रेशन संख्या–Cr.Reg.Case 259/2021

CNR NO RJJH180003772021

राज० राज्य बनाम संदीप कुमार

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–183/2020, पुलिस थाना, सिंघाना

अपराध अंतर्गत धारा–498 ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता ।

भाग–प्रथम

A

परिवादी	मुकेश देवी उर्फ मीनू पत्नी संदीप कुमार पुत्री भोजराम उम्र 28 साल निवासी लाडपुर पी.एस. कंझावला दिल्ली हाल हमीरवास पी.एस. सिंघाना तहसील, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज०)
प्रस्तुतकर्ता	सरकार जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण का नाम व पता	संदीप कुमार पुत्र धर्मसिंह उम्र 36 साल निवासी लाडपुर पुलिस थाना कंजावला दिल्ली ।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री सुशील कुमार वर्मा
अधिवक्ता परिवादी	श्री रोहित पोषवाल

B

अपराध की दिनांक	23.11.2011 से 09.02.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	08.08.2020
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	16.02.2020
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	26.08.2021
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	15.09.2022
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	----
निर्णय दिनांक	07.04.2026
दण्डादेश की दिनांक (If any)	----

C

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	संदीप कुमार	--	--	498 ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता।	दोषमुक्त	--	--

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 01	श्रीमती मुकेश उर्फ मीनू	परिवादिया
पी.डब्ल्यू 02	भोजराज	परिवादिया का पिता
पी.डब्ल्यू 03	निर्मला देवी	परिवादिया की माता
पी.डब्ल्यू 04	प्रमोद कुमार	तत्कालीन थानाधिकारी/अनुसंधान अधिकारी

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
डी.डब्ल्यू 01	सुभाष सिंह	अभियुक्त का पड़ौसी
डी.डब्ल्यू 02	विजय कुमार	अभियुक्त का चाचा

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी.01	परिवाद पत्र
02	प्रदर्श पी.02	चाक शुदा प्रथम सूचना रिपोर्ट, बयान धारा 161 दं०पं०सं० सुभाष चंद्र
03	प्रदर्श पी.03	सुभाष चन्द्र का अभियोजन चलाने के लिए साक्ष्य देने के लिए बंधपत्र

04	प्रदर्श पी.04	बयान धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता विजय कुमार
05	प्रदर्श पी.05	विजय कुमार का अभियोजन चलाने के लिए साक्ष्य देने के लिए बंधपत्र

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श डी.01	बयान धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता निर्मला देवी

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
–	–	–

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
–	–	–

01. संक्षेप में प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादिया मुकेश देवी उर्फ मीनू पत्नी संदीप कुमार ने दिनांक 02.07.2020 को एक परिवाद अन्तर्गत धारा 498 ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 04 दहेज निषेध अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उसका विवाह दिनांक 23.11.2011 को हिन्दू रिति रिवाज व नट जाति की रिति रिवाज के अनुसार अभियुक्त संदीप कुमार के साथ परिवादिया के पिता के घर ग्राम हमीरवास ग्राम पंचायत थली में सम्पन्न हुआ था। विवाह में उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज व स्त्रीधन दिया। परिवादिया शादी के बाद विदा होकर जैसे ही अपने ससुराल गांव लाडपुर गई तो उसी समय अभियुक्तगण दहेज स्वरूप दिये गये सामान को देखकर परिवादिया को ताने देने लगे व कहा कि तू भूखे कंगले घर की लड़की है। अभियुक्त संदीप कुमार ने कहा कि शादी में आपके मां बाप ने इतना घटिया सामान दिया है, कहीं उन्होंने कुछ देखा भी है कि नहीं तथा आपके पिता ने हमें मोटर साईकिल भी दहेज में नहीं दी है तथा दहेज में रूपये भी कम दिये हैं। अभियुक्तगण ने परिवादिया को ताना दिया कि संदीप कुमार दिल्ली पुलिस में नौकरी करता है उसकी शादी में दूसरी जगह से पांच लाख रूपये व मारूती कार मिल रही थी। आपके मा। बाप ने बारात को भी अच्छा खाना नहीं दिया है उन्होंने समाज में हमारी नाक कटवा दी। परिवादिया दूसरे दिन अपने पीहर आई तथा अपने साथ अभियुक्तगण द्वारा किये दुर्व्यहार के बारे में अपने माता पिता को बताया तो उसके माता पिता ने कहा कि हम जाकर अभियुक्तगण को समझा देंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। विवाह के एक सप्ताह के बाद परिवादिया के पिता व उसका मामा कप्तान व प्रकाश

अभियुक्तगण के गांव गये तथा अभियुक्तगण को समझाया कि परिवादिया के पिता ने अपनी हैसियत से बढ चढकर विवाह में दान दहेज दिया है आप परिवादिया को ठीक से रखो समय आने पर और दिया जावेगा। उसके दस दिन बाद परिवादिया को अभियुक्त संदीप कुमार अपने साथ ले गया तथा उसे कुछ समय तक ठीक ठाक रखा तथा उसके बाद हर किसी छोटी से छोटी बात पर परिवादिया के साथ मारपीट करना, खाना नहीं देना, शराब पीकर परिवादिया का बैड से सिर भिड़ाना व भूखा प्यासा रखना आरम्भ कर दिया। विवाह के एक साल बाद अभियुक्त संदीप कुमार ने परिवादिया से कहा कि तेरे बाप से फोन करके पांच लाख रूपये मंगवा, लेकिन परिवादिया ने अपने माता पिता को फोन करने से मना कर दिया तो अभियुक्त संदीप कुमार परिवादिया को दहेज के लिए प्रतिदिन तंग परेशान कर भूखा प्यासा रखने लगा। इस पर परिवादिया के माता पिता को सूचना लगी तो वह परिवादिया के ससुराल गये तथा अभियुक्तगण को समझाने पर उनके द्वारा परिवादिया के साथ ऐसी पुनरावृति नहीं करने का आश्वासन देने पर परिवादिया के माता पिता व उसका मामा कप्तान अपने घर वापिस आ गये। उसके बाद कुछ समय तक अभियुक्तगण ने परिवादिया को अच्छी तरह से रखा तथा दिनांक 25.01.2015 को अभियुक्तगण ने परिवादिया के साथ दहेज को लेकर मारपीट की व तंग परेशान करना प्रारम्भ कर दिया। अभियुक्तगण के द्वारा परिवादिया के साथ की गई मारपीट की बात उसने अपने माता पिता को बताई तो उसके माता पिता समाज के मौतबिर लोगों व रिश्तेदारों को लेकर अभियुक्तगण के घर गांव लाडपुर गये तथा अभियुक्तगण को समझाया कि परिवादिया के पिता एक गरीब आदमी है इनके पास इतनी बड़ी रकम नहीं है, इतना दहेज नहीं दे सकता है। इस समझाईश के बाद अभियुक्तगण ने कुछ समय तक परिवादिया को ठीक रखा लेकिन उसके बाद अभियुक्तगण ने पुनः परिवादिया को दहेज की डिमाण्ड पूरी करवाने के लिए तंग करना शुरू कर दिया और परिवादिया अभियुक्तगण के जुल्म सहन करती रही। परिवादिया को खाना भी नहीं देते थे, मगर फिर भी उसने सोचा कि समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस प्रकार अभियुक्तगण पर दबाव दिलवाया तो वह चुपचाप रहे, लेकिन दिनांक 24.10.2018 को अभियुक्तगण संदीप कुमार, धर्मसिंह उर्फ धूम्मे व श्रीमती बबली देवी ने रात को परिवादिया पर अपनी दहेज की मांग मनवाने के लिए दबाव बनाने लगे कि अभियुक्त संदीप कुमार दिल्ली पुलिस में लग गया है इसलिए इसे दिल्ली में रहने के लिए फ्लैट चाहिए, तेरे माता पिता ने शादी में तो कम दहेज दिया था व मारूती कार भी नहीं दी थी। इसलिए अब तेरे बाप से दस लाख रूपये मंगवा।

परिवादिया द्वारा मना करने पर अभियुक्तगण भड़क गये तथा परिवादिया के साथ मारपीट की और उसे खाना भी नहीं दिया और भूखी को घर से बाहर निकाल दिया। इस कारण परिवादिया पूरी रात घर से बाहर बैठी रही तथा पूरी रात रोती रही। परिवादिया ने इस घटना की सूचना अपने माता पिता व अपने मामा को दी तो वह सुबह अपने गांव से परिवादिया के पास गये तथा अभियुक्तगण से मिले एवं समझाया कि आप आये दिन दहेज को लेकर परिवादिया के साथ मारपीट करते रहते हो तथा दस लाख रूपये कोई आसान नहीं है। इस पर अभियुक्तगण ने माफी मांगकर भविष्य में ऐसी पुनरावृति नहीं करने व परिवादिया को भविष्य में ठीक से रखने का आश्वासन दिया। इसके बाद अभियुक्तगण ने परिवादिया को एक साल तक ठीक रखा लेकिन उसके बाद वह पुनः दहेज में दस लाख रूपये व मारूती कार की डिमाण्ड करने लगे व दिनांक 20.12.2019 की रात्रि को अभियुक्तगण ने परिवादिया से कहा कि अपने पिता से हमारी दहेज की मांग पूरी करवा दो नहीं तो हम आपको अपने साथ नहीं रखेगें। लेकिन परिवादिया ने मना कर दिया। इस पर अभियुक्तगण ने परिवादिया के साथ मारपीट कर भूखी प्यासी को घर से निकाल दिया तथा अभियुक्त संदीप कुमार ने परिवादिया के पिता को फोन करके कहा कि आप हमारी दहेज की मांग पूरी कर दो अन्यथा हम आपकी लड़की को अपने साथ नहीं रखेगे। इस पर दिनांक 21.12.19 को परिवादिया का पिता अभियुक्तगण के घर अपने साले कप्तान व प्रकाश को लेकर गया और उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन अभियुक्तगण ने परिवादिया को उसकी दहेज की मांग पूरी किये बिना अपने साथ रखने से साफ इनकार कर दिया और अभियुक्तगण ने परिवादिया व उसके पिता व मामा के साथ धक्का मुक्की करके अपने घर से निकाल दिया। इसके बाद परिवादिया अपने पिता के साथ अपने मायके आ गई। उसके बाद परिवादिया के पिता ने अभियुक्तगण पर रिश्तेदारों व समाज के लोगों का दबाव बनाना शुरू कर दिया तो अभियुक्तगण दिनांक 09.02.2020 को परिवादिया के माता पिता के घर ग्राम हमीरवास आये और अपनी दहेज की उक्त मांग करने पर अड़े रहे तथा अभियुक्त धर्मसिंह उर्फ धूम्मे ने धमकी दी कि वह महिलाएं खरीद फरोख्त का धंधा करता है यदि उसकी मांग पूरी नहीं की तो वह परिवादिया को कहीं बेच देगा। तब परिवादिया ने अभियुक्तगण से अपना स्त्रीधन व सामान लौटाने के लिए कहा तो वह भी अभियुक्तगण ने परिवादिया को देने से साफ इनकार कर दिया। अभियुक्तगण ने परिवादिया को दहेज के लिए लगातार शारीरिक मानसिक प्रताड़ित करना जारी रखा व लगातार दहेज में रूपये व कार की मांग करते रहे। उसने उक्त वाके की रिपोर्ट पुलिस

थाना, सिंघाना को दी, परंतु इस पर कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई, उसके बाद उसने उक्त शिकायत पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू को जरिए डाक भिजवाई थी लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई ....इत्यादि। उक्त परिवाद धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस थाना, सिंघाना को भिजवाया गया जिस पर पुलिस थाना, द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–183/2020 अंतर्गत धारा 498 ए, 406, 323 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त संदीप कुमार के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा **498 ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता** में आरोप पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के तहत प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया ।

02. न्यायालय द्वारा बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को धारा **498 ए, 406** भारतीय दण्ड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने जुर्म से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

03. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने प्रकरण के समर्थन में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य में पृष्ठ संख्या–02 के भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा पृष्ठ संख्या–02 व 03 के भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

04. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के पश्चात अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना जाहिर किया। अभियुक्त की ओर से साक्ष्य सफाई पेश करना जाहिर किया एवं साक्ष्य सफाई में पृष्ठ संख्या–02 के भाग द्वितीय **"ब"** में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गये।

05. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता परिवादिया एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने जाहिर किया कि परिवादिया ने अपनी शादी को बचाने का काफी प्रयास किया है। अभियुक्त द्वारा बार बार दहेज के लिए तंग परेशान किये जाने के बावजूद वह अपने ससुराल में रही है। प्रकरण में परिवादिया व उसके माता पिता एवं अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित हुए हैं। गवाहों के बयानों में आये मामूली विरोधाभास अनदेखे किये जा सकते हैं। अन्त में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को आरोपित

अपराधों में दोषसिद्ध घोषित किए जाने का निवेदन किया गया। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने न्यायिक दृष्टांत Hamirbhai Kachchod vs State of Gujrat SC 2021 Online 347 पेश किया।

06. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने जाहिर किया कि परिवादिया के द्वारा अपनी शादी के 09 साल तक किसी प्रकार की कोई शिकायत अभियुक्तगण के विरूद्ध कहीं भी दर्ज नहीं करवाई गई है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अभियुक्त दिल्ली पुलिस में नहीं है, इस संबंध में परिवादिया के द्वारा अपने परिवाद में गलत तथ्य अंकित किये गये हैं। प्रकरण में अभियुक्त से दहेज के सामान की किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं की गई है जिससे अभियुक्त के विरूद्ध धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का आरोप साबित नहीं माना जा सकता। परिवाद पत्र में परिवादिया ने कप्तान व प्रकाश को हर समय समझाईश के लिए जाना बताया है, लेकिन उक्त दोनों व्यक्तियों को हस्तगत प्रकरण में गवाह नहीं बनाया गया है जिससे अभियोजन की कहानी संदेहास्पद हो जाती है। परिवादिया की शादी में क्या सामान दिया था इसकी कोई लिस्ट परिवाद के साथ संलग्न नहीं है जबकि परिवाद पत्र में स्त्रीधन की सूची(ए) संलग्न होना अंकित किया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि बचाव पक्ष के गवाहान डी०डबल्यू–01 सुभाष सिंह व डी.डब्ल्यू–02 विजय कुमार ने अभियुक्त द्वारा परिवादिया से किसी प्रकार की कोई दहेज की मांग नहीं करना बताया है एवं परिवादिया का नवम्बर 2018 में अपने पिता के साथ राजी खुशी अपने घर जाना बताया है एवं इसके पश्चात वापिस ससुराल नहीं आना बताया है। उक्त दोनों गवाहान अभियोजन की साक्ष्य सूची में सम्मिलित रहे हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष ने उक्त दोनों गवाहान तर्क किया है एवं इनकी साक्ष्य लेखबद्ध नहीं करवाई है। जिससे अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है। अन्त में अभियुक्त को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

07. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन व अध्ययन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न अवधारणीय बिन्दु विरचित किये जाते हैं–

1. आया अभियुक्त संदीप कुमार ने अपनी विवाहिता पत्नी श्रीमती मुकेश देवी उर्फ मीनू को अपने विवाह दिनांक 23.11.2011 के पश्चात समय समय पर

दहेज स्वरूप मोटर साईकिल व रूपयों की मांग करते हुए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की एवं परिवादिया का स्त्रीधन जो अभियुक्त के पास न्यस्त था, परिवादिया के मांगने पर उसे न देकर बेईमानीपूर्वक अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर उसका दुर्विनियोग किया ?

2. यदि हां, तो उसका उचित दण्ड क्या होगा ?

08. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल चार गवाहों को परीक्षित करवाया गया है। हस्तगत प्रकरण की परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी उर्फ मीनू है जिसके साथ तथाकथित क्रूरता एवं उसके स्त्रीधन का दुर्विनियोग किया जाना अभियोजन की कहानी रही है। जो बतौर गवाह पी०डब्ल्यू–01 के रूप में पेश होकर परीक्षित हुई है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 23.11.2011 को उसकी शादी संदीप कुमार के साथ हिन्दु रिति रिवाज से सम्पन्न हुई थी, जिसमें घर गृहस्थी का सभी सामान कूलर, फ्रीज, टीवी, सोफा, सिलाई मशीन आदि तथा सोने चांदी की गले की चैन व कानों की बाली आदि दिये थे। शादी होने के बाद जब वह अपने ससुराल गई तो उसकी सास बबली, ससुर धर्मसिंह व ननद उषा देवी, पूजा देवी, ज्योति देवी व उसके पति की नानी सा जीवणी देवी ने मिलकर उसको ताने देने शुरू कर दिये कि क्या सामान लेकर आई है, ऐसा सामान दे दिया कि हमारी नाक कटवा दी, बारात का अच्छा खाना नहीं दिया। फिर वह अपने घर आई और अपने माता पिता को ताने मारने वाली बातें बताई तो उसके माता पिता ने कहा कि कुछ समय बाद सब सही हो जाएगा। फिर उसे समझा बूझाकर पीहर वालों ने ससुराल भेज दिया। फिर दूबारा उसके पति संदीप ने कहा कि वह दिल्ली पुलिस में नौकरी करता है पांच लाख रूपये लेकर आओ। फिर उसने अपने पति को कहा कि वह इतनी बड़ी रकम कहां से लेकर आए उसके पिता के पास भी इतने रूपये कहां से आयेगे। उसके साथ उसकी सास व उसके पति संदीप ने इस बात को लेकर मारपीट भी की थी। फिर उसने यह बात अपने पिता को बताई तो उसके पिता रिश्तेदारों को लेकर उसके ससुराल वालों को समझाने के लिए गए। फिर संदीप ने उसके पापा से कहा कि पांच लाख रूपये मांगे थे और मोटर साईकिल भी मांगी थी। फिर थोड़ेदिन तो उसको सही रखा फिर उसके साथ मारपीट करने लगे। जो शादी में उसके घर वालों ने सामान दिया था उसमें से टूटा फूटा तो उसको दे दिया और बाकी उसके ससुराल वालों ने अपने पास रख लिया। उक्त घटना के संबंध में उसने इस्तगासा न्यायालय के समक्ष पेश

किया था जो प्रदर्श पी–01 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके पापा के समझाने के बाद थोड़े दिन ठीक ठाक रखा और फिर संदीप ने उसे कहा कि दस लाख रूपये तेरे पापा से लेकर आ किस तारीख को कहा था आज याद नहीं है। फिर उसने मना कर दिया तो उसके साथ मारपीट कर संदीप ने उसे घर से बाहर बैठा दिया जो सर्दियों की बात है। उसे दो दिन घर के बाहर बैठा कर रखा और खाना भी नहीं दिया और संदीप ने उसके पापा को बोला कि पैसे देगा तो तेरी लड़की को रखेगे नहीं तो नहीं रखेगे। संदीप के पापा ने उसके पाता के पास फोन किया कि वह लड़कियां बेचने का काम करता है, अगर पैसे नहीं दिए तो तेरी बेटी को भी बेच दूंगा। फिर उसके पापा उसे लेकर अपने घर आ गए। **दौराने जिरह गवाह ने जाहिर किया** कि उसकी शादी को 12 साल पहले हुई थी, शादी से लेकर आज तक उसके कोई बच्चे नहीं हुए। वह साल 2019 में घर आई थी, किस महीने घर आई थी आज याद नहीं है। उसने घर आने के एक साल बाद संदीप पर मुकदमा दर्ज करवाया था। शादी के बाद वह अपने पति के साथ ससुराल में सात साल तक रही थी। उक्त सात सालों में वह अपने पीहर कितनी बार आई और गई उसे याद नहीं है। उससे पांच लाख रूपये व दस लाख रूपये की मांग किस तारीख को की थी आज उसे याद नहीं है। गवाह ने आगे यह भी कथन किया कि उसने कोर्ट में परिवाद पत्र पेश किया था या नहीं उसे याद नहीं है। गवाह ने आगे जाहिर किया कि शादी में जो सामान दिया था वह उसने हस्ताक्षर कर आधा टूटा फुटा सामान ले लिया था। उसके मामा कप्तान व प्रकाश किस तारीख, महीने व साल में संदीप को समझाने गये थे आज उसे ध्यान नहीं है। गवाह ने आगे यह भी कथन किया कि यदि संदीप उसको ले जाना चाहे तो वह उसके साथ जा सकती है।

09. गवाह पी०डब्ल्यू–02 भोजराज परिवादिया का पिता है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि उसकी लड़की मुकेश की शादी 23 तारीख को संदीप के साथ की थी। शादी में उसने अपनी हैसियत के अनुसार घर गृहस्थी का सभी सामान दिया था जिनमें बैड, कूलर, फ्रीज, सिलाई मशीन, कपड़े धोने की मशीन आदि व सोने चांदी की अंगूठी, घड़ी आदि सामान दिया था। शादी के पश्चात लड़की अपने ससुराल गई तो वहां ससुराल में लड़की की सास बबली, ननद व लड़की की नानेर सास, लड़के के ससुर धर्म सिंह उर्फ धूमें और संदीप ने लड़की से कहा कि क्या सामान दिया है सब घटियासामान दिया है, कुछ भी सामान नहीं दिया। शादी में मोटर साईकिल भी नहीं दी है, वह दिल्ली

पुलिस में है, उसको शादी में लोग पांच लाख रूपये व गाड़ी देने को तैयार थे। ये सभी लोग उसकी लड़की को इन मांगों को लेकर तंग परेशान करनेलगे फिरउसने अपनी लड़की को समझा कर ससुराल भेज दिया। फिर संदीप ने उसकी लड़की से कहा कि पांच लाख रूपये तेरे बाप से मंगवा । उसकी लड़की ने कहा कि उसके पिता गरीब आदमी हैं मजदूरी करते हैं वह पांच लाख रूपये नहीं दे सकते। उसके बाद इन बातों को लेकर उसकी लड़की से मारपीट करने लगे। उसकी लड़की ने उसे सूचना दी और वहां की सारी घटना बताई फिर उसने अपने घर से अपनी बिरादरी से मिलने वालों को बुलाया और उनके घर जाकर समझाया लेकिन फिर भी वे लोग नहीं माने। फिर संदीप ने कहा कि दस लाख रूपये दो, क्योंकि उसने फलेट लिया है। फिर वह उनके घर दो तीन आदमी लेकर गया, जहां संदीप ने भी अपने दो चार आदमियों को बुला रखा था फिर उसने संदीप के घर जाकर कहा था कि उसके पास दस लाख रूपये नहीं हैं फिर संदीप व उसके परिवार वालों ने उसके साथ थप्पड़ मुक्की भी की। जब वो पहले पांच लाख रूपये मांगता था तो वह संदीप को बीस हजार रूपये भी देकर आया था। उसने संदीप से कहा कि उसकी ओर गुजाईश नहीं है। शादी में उसने जो स्त्रीधन दिया था उसमें से टूटा फूटा सामान तो उसे दे दिया, बाकी का नहीं दिया। फिर दस लाख रूपये नहीं देने पर संदीप ने उसकी लड़की को उसके साथ भेज दिया। **दौराने जिरह गवाह ने जाहिर किया** कि उसने जो शादी में सामान दिया था उसकी रसीद काफी समय होने से कहां है वह नहीं बता सकता। उसने शादी में अपनी लड़की को जो सामान दिया था उसे उसकी लड़की व उसका पूरा परिवार ही काम में लेता था। गवाह ने आगे जाहिर किया कि शादी के चार पांच साल में उसकी लड़की व संदीप करीब तीन साल साथ रहे थे। इन तीन सालों में उसकी लड़की का पीहर आना जाना रहता था लेकिन झगड़ा बना ही रहता था। उसने बीस हजार रूपये संदीप को दिये थे उस समय और कोई नहीं था। उसकी लड़की ससुराल से घर किस तारीख को आई थी उसे याद नहीं है। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसकी बेटी के शादी से लेकर अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ है।

10. गवाह पी०डब्ल्यू–03 निर्मला देवी परिवादिया की माता है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि उसकी लड़की मुकेश की शादी करीब 12 साल पहले संदीप के साथ हुई थी। ससुराल वालों में उसकी लड़की की सास बबलू, ससुर धर्मसिंह, ननद पूजा, ननद उषा, ननद ज्योति ने ताने दिये और कहा कि तेरे पिता ने शादी में क्या

दिया है कोई भी धन शादी में नहीं लाई। शादी में उन्होंने ईच्छानुसार खूब सामान दिया था, लड़की के ससुर की सोने चांदी की अंगूठी, उसकी सास को पांच टूम दी थी। फिर उसकी लड़की घर आकर रोने लग गई और बोली उसकी सास उसको ताने देती है। उन्होंने अपनी लड़की को समझाकर सुसराल भेज दिया। उसकी लड़की को बबली, ससुर धर्मसिंह, संदीप और ननदे मारपीट करती। उसकी लड़की से उसकी सास ने मारूती कार व पांच लाख रूपये की मांग की। उसकी लड़की कोसंदीप व बबली ने कहा कि तेरे बच्चे भी नहीं होते ना ही तू कोई धन लेकर आयी इसलिए हम तुझे नहीं रखेगे। वह अपनी लड़की का घर बसाना चाहती है व उसकी लड़की ससुराल जाना चाहती है। उसकी लड़की को शादी में जो सामान दिया था वो लड़की के ससुराल ही है। लड़की उनके पास चार सालों से है। **दौराने जिरह गवाह ने जाहिर किया** कि वह नहीं बता सकती कि उसकी बेटी को उसके सास, ससुर,ननद उषा व ज्योति ने कम दहेज लाने के बारे में ताने किस तारीख, दिन व साल में दिये। जिस दिन उसकी बेटी ब्याह कर ससुराल गई उसी दिन उसको कम दहेज लाने के लिए ताने दिये। गवाह ने आगे इस सुझाव को स्वीकार किया कि मारपीट बाबत उसने व उसके परिवार वालों ने किसी थाने में कम्पलेंट वगैरह नहीं की। गवाह ने आगे इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उसकी बेटी से जो उक्त डिमाण्ड की गई इस संबंध में उन्होंने किसी पुलिस स्टेशन में कभी कोई रिपोर्ट पहले नहीं दी थी। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि लड़के को, उसके पिता को व उसकी माता को जो उन्होंने टूम दी थी उसकी रसीद उनके पास नहीं है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उन्होंने वर्ष, 2011 से 2019 के बीच लड़की के ससुराल वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी।

11. गवाह पी०डब्ल्यू–04 प्रमोद कुमार तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना सिंघाना होकर हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अपने द्वारा अनुसंधान के दौरान की गई कार्यवाहियों का सिलसिलेवार विवरण देते हुए कथन किया कि परिवादिया के इस्तगासा प्रदर्श पी–01 है पर कार्यवाही पुलिस अंकित की जाकर चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–02 दर्ज की गई थी। दौराने अनुसंधान उसने गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये थे। उसने अपने अनुसंधान से अभियुक्त के विरूद्ध जुर्म धारा 498ए,406 भारतीय दण्ड संहिता का प्रमाणित मानकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। **दौराने जिरह गवाह ने जाहिर किया** कि उसको परिवादिया ने दहेज के

सामान का बिल या दस्तावेज नहीं दिया था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि परिवादिया ने शादी के करीब नौ वर्ष बाद दहेज संबंध मुकदमा दर्ज करवाया था। गवाह ने आगे इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने समझाईश के समय उपस्थित रहने वाले कप्तान, प्रकाश निवासी बादली लाछपुर, जगमाल सांगी, पूर्णमल महासी निवासी चित्तौसा, पृथ्वीसिंह निवासी हमीरवास के बयान नहीं लिये। गवाह ने आगे स्वतः कथन में कहा कि इन व्यक्तियों ने अनुसंधान में सहयोग नहीं किया इसलिए इनके बयान नहीं लिये गये।

12. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र रूप से अध्ययन एवं अवलोकन किया जावे तो परिवादिया ने अपने विवाह के करीब 09 वर्ष पश्चात हस्तगत परिवाद पेश किया है। परिवादिया ने बतौर गवाह पी०डब्ल्यू–01 या अन्य किसी गवाह ने दिनांक 09.02.2020 को अभियुक्तगण का ग्राम हमीरवास में आना टाईप नहीं किया है। ऐसे में अंतिम बार परिवादिया से दहेज की मांग किया जाना उक्त दिनांक 09.02.2020 व घटना के समय के अभाव में अप्रमाणित है। इसके अतिरिक्त परिवादिया के द्वारा अपने परिवाद पत्र में प्रारम्भिक समय में उसके साथ किस तारीख, माह एवं साल में मारपीट की गई ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है एवं पश्चातवर्ती प्रक्रम पर वर्ष, 2015, 2018, 2019 व 2020 में तंग परेशान कर मारपीट करने एवं घर से निकाल देना बताया है, लेकिन उक्त तंग परेशान करने एवं मारपीट कर घर से निकाल दिये जाने के संबंध में परिवादिया के द्वारा किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट कहीं पर की गई हो ऐसा कोई कथन परिवादिया एवं उसके माता पिता ने नहीं किया है एवं न ही ऐसी कोई रिपोर्ट ही परिवादिया की ओर से पेश की गई है। परिवादिया एवं उसके माता पिता ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के दौरान परिवादिया को अभियुक्तगण द्वारा किस तारीख, माह व साल में तंग परेशान एवं मारपीट कर घर से निकाला गया कोई विशिष्ट कथन नहीं किये हैं। परिवादिया के द्वारा अपने परिवाद पत्र में शादी में क्या सामान दिया गया था इस संबंध में परिवाद पत्र के साथ सूची संलग्न होना बतायी है, लेकिन परिवाद पत्र के साथ परिवादिया द्वारा किसी प्रकार की कोई सूची संलग्न नहीं की गई है। पश्चातवृती प्रक्रम पर परिवादिया एवं उसके माता पिता के द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के दौरान शादी में काफी घरेलू सामान एवं सोने चांदी के आभूषण देना बताये गये हैं, लेकिन परिवादिया एवं उसके माता पिता द्वारा शादी में दिये गये सामान का कोई बिल या रसीदें पेश नहीं की गई हैं।

13. इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त तीनों महत्वपूर्ण गवाहान की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष इस तथ्य को स्थापित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण के द्वारा परिवादिया को किस तारीख, माह व साल में दहेज की मांग को लेकर तंग परेशान कर मारपीट करते हुए घर से निकाला गया। इसके साथ ही हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परिवादिया के पिता के साथ परिवादिया के ससुराल अभियुक्तगण को समझाने के लिए जाने वाले कप्तान व प्रकाश को भी हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा बतौर गवाह साक्ष्य सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। जिससे भी अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है कि उक्त दोनों इतने महत्वपूर्ण व्यक्तियों को किन परिस्थितियों में साक्ष्य सूची में बतौर गवाह सम्मिलित नहीं किया गया।

14. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान डी०डब्ल्यू–01 सुभाष सिंह व डी०डब्ल्यू–02 विजय सिंह अभियोजन पक्ष की साक्ष्य सूची में सम्मिलित थे, लेकिन उक्त दोनों गवाहान को अभियोजन पक्ष द्वारा तर्क किया गया है। उक्त दोनों गवाहान ने बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित होते हुए समान रूप से मुख्यतः यही कथन किये हैं कि संदीप व उसके परिवाद ने शादी से पहले, शादी के समय एवं शादी के बाद किसी प्रकार के दहेज की मांग नहीं की। परिवादिया या उसके परिवार के साथ संदीप एवं उसके परिवार का किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं था। परिवादिया नवम्बर, 2018 में अपने पिता के साथ राजी खुशी अपने घर आ गई थी। परिवादिया 15 दिन पहने पीहर जाने के नाम पर अपने पिता के साथ उसके घर पर आयी थी। साल 2020 में संदीप का एक्सीडेंट हो गया था जिस पर संदीप के परिवार ने परिवादिया के घर पर फोन के माध्यम से इस बारे में बताया था, लेकिन परिवादिया ने जवाब दिया कि वह इससे मिलने नहीं जाएगी, इसके मरने के बाद केवल चूड़ी तोडने ही वहां पर जाएगी। उक्त दोनों गवाहान ने सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह किये जाने पर इस सुझाव को स्वीकार किया कि परिवादिया मुकेश देवी एवं आरोपी संदीप की शादी के बाद से साल 2018 तक ठीक ठाक रहते थे उसके बाद अनबन हो गई थी। इस प्रकार उक्त दोनों गवाहान ने परिवादिया का वर्ष, 2018 में अपने पिता के साथ राजी खुशी अपने पिता के घर चला जाना बताय है एवं पश्चात वापिस नहीं आना बताया है। ये तथ्य भी अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देते हैं।

15. इस प्रकार उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त संदीप कुमार के विरूद्ध यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त संदीप कुमार ने अपनी विवाहिता पत्नी श्रीमती मुकेश देवी उर्फ मीनू को अपने विवाह दिनांक 23.11.2011 के पश्चात समय समय पर दहेज स्वरूप मोटर साईकिल व रूपयों की मांग करते हुए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की एवं परिवादिया का स्त्रीधन जो अभियुक्त के पास न्यस्त था, परिवादिया के मांगने पर उसे न देकर बेईमानीपूर्वक अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर उसका दुर्विनियोग किया हो। ऐसे में अभियुक्त संदीप कुमार धारा **498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

–<u>आदेश</u>–

16. परिणामतः अभियुक्त संदीप कुमार पुत्र धर्म सिंह उम्र 36 साल निवासी लाडपुर थाना कंजावला दिल्ली को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा पूर्व में प्रस्तुत नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(तुषार बिश्नोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज०)

17. निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखवाया जाकर, हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(तुषार बिश्नोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज०)